राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)
फल अनुसंधान केंद्र, बैरसिया रोड, ईंटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.)
मो- 9406517978

क्रं/फ.अ.के./2024–25/ दिनांकः

निविदा सूचना

फल अनुसंधान केंद्र, ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड, भोपाल में आम फसल वर्ष 2024–25 की नीलामी हेतु दिनांक 02.04.2025 को कृषि महाविद्यालय सीहोर में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्ते www.rvskvv.net पर उपलब्ध है।

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केंद्र,ईंटखेड़ी

राजमाता विजयाराजे सिंधिंया कृषि विश्व विद्यालय

कार्यालय उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईटखेड़ी बेरसिया रोड, भोपाल

मो नं. 9303315367, 9617253054

क्रमांक/फ.अ.के./2024-25/ 316 दिनांक : 18/03/25

निविदा सूचना

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में आम फसल वर्ष 2024-25 के विक्रय हेतु टेण्डर कृषि महाविद्यालय, सीहोर में आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक खरीददार नीलामी में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 02.04.25 समय सुबह 11 बजे से कृषि महाविद्यालय, सीहोर में उपस्थित रहकर टेण्डर फार्म खरीद सकते है एवं अपने-अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर 1:00 बजे तक जमा करें। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 02.04.25 को 2 बजे के बाद अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय,सीहोर में गठित उच्च स्तरीय नीलामी समिति के सामने खोले जावेगे। निविदा की शर्ते निम्न होगीः-

1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को आम फसल बगीचे के लिये 50,000/- की राशि अमानत राशि के रूप में निविदा के पूर्व नगद जमा करनी होगी। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने के बाद वापस दी जावेगी एवं जिस भी ठेकेदार की नीलामी के लिए सर्वाधिक राशि होगी उसकी अमानत राशि फसल अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी एवं अवधि पूर्ण होने पर वापस की जायेगी। फसल अवधि के दौरान कार्यालय या प्रक्षेत्र की संपत्ति को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार (पौधों की चोरी, क्षति, पाइप लाइन, विद्युत उपकरण, फार्म सामग्री व अन्य सामग्री में होने वाली क्षति या चोरी सम्मिलित है) की क्षति पहुचाने पर अमानत राशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
2. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु निगोशएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग-अलग की जा सकेगी। समिति के आकलन अनुसार सवार्धिक राशी प्राप्त होने पर नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 48 घण्टे के अन्दर कार्यालय फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।
4. आम फसल तोड़ने की अंतिम तिथि 31.07.2025 तक ही रहेगी।
5. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. आम फसल बगीचे का अवलोकन एवं आंकलन कार्यालयीन दिवस पर खरीददार स्वयं आकर दिनांक 24 से 28 मार्च 2025 के बीच समय 1-4 बजे तक कर सकते है।
7. फसल की चौकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
8. आम फसल तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
9. आम फसल की अवधि के दौरान प्रत्येक वृक्ष के 30-30 फल परीक्षण हेतु ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से इस कार्यालय को निःशुल्क आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपलब्ध कराने होगें। एवं आम के मुख्य बगीचे के अलावा प्रक्षेत्र के अन्य फसल के पेड़ो से फल नही तोड़े जायेंगे। जो कि प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित किये गये हैं।
10. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
11. आम की कलम काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।एवं अर्न्तवर्तीय फसलों की खेती पर ठेकेदार की कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी।

12.नीलामी के पश्चात फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

13.ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके। टेण्डर खुलने के पश्चात् 500 रुपये के स्टॉम्प पर ठेकेदार को इकरार नाम कार्यालय में जमा कराना होग।

14.ठेकेदार को अलग से अस्थाई विघुत कनेकशन बिजली लेना होगा।

15.टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निविदाकर्त्ता की जमानत राशि वापिस नहीं की जावेगी।

16. नीलामी राशि RTGS के माध्यम से अथवा डी.डी. के द्वारा नियमानुसार जमा करनी होगी।

17.निविदाकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रभारी को सूचित करेंगे।

18.फल बेचने के लिए गेट के बाहर गुमटी ठेकेदार अपनी जवाबदारी पर बनाकर बेच सकता है, मुख्य मार्ग अवरोध न हो इसका ध्यान रखते हुए ।

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी

क्रमांक/ फ.अ.के./2024–25/ दिनांक

चस्पा 1. स्थानीय नोटिस बोर्ड

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी